



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072022-237303
CG-DL-E-15072022-237303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3039]
No. 3039]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022

का. आ. 3197(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1669 (अ), दिनांक 26 मई, 2020 द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-365बीबी के सूर्यपिट-खम्मम सेक्शन के 0.420 कि.मी. से 59.046 कि.मी. तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा जाए) को सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365बीबी (पुराना एसएच-42) के सूर्यपिट-खम्मम सेक्शन के डिजाइन कि.मी. 0.420 से 59.046 कि.मी. (विद्यमान 0.000 कि.मी. से 50.750 कि.मी. तक) तक चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई निवल लंबाई 17.674 कि.मी. और 3.220 कि.मी. (जिनकी लंबाई 0.322 कि.मी. है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर लिए नीची तालिका 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और बाईपासों जिनकी लंबाई 40.630 कि.मी. और लागत 10 करोड़ रु या अधिक है, के लिए आधार दर के डेढ़ गुणा की दर से तालिका 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनो पर शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृष्ट एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध और संदेय होगा अर्थात् :

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनज)	लंबाई (कि.मी. मे) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले के सिंगरेनीपल्ली गांव के निकट एनएच-365बीबी के 37.400 किमी/चैनज पर	17.674 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका- 1में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईसपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईसपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा-

तालिका-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनज)	बाईसपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईसपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले के सिंगरेनीपल्ली गांव के निकट एनएच-	एनएच-365बीबी का सूर्यपेट बाईसपास	डिज़ाइन किमी 0.420	डिज़ाइन किमी 18.100	17.680	480.16	ऊपर तालिका-1 उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार

365बीबी के 37.400 किमी/चैनेज पर	एनएच- 365बीबी का मोथे बाईपास	डिज़ाइन किमी 28.200	डिज़ाइन किमी 31.100	2.900	78.76	दरों का 150%
	एनएच- 365बीबी का खम्मम बाईपास	डिज़ाइन किमी 38.400	डिज़ाइन किमी 58.670	20.050	550.51	

- 3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका -4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (कि.मी. में)*	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले के सिंगरेनीपल्ली गांव के निकट एनएच- 365बीबी के 37.400 किमी/चैनेज पर	0.322	3.220	ऊपर तालिका -1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100 %

*विवरण निम्नानुसार है;

क्रम सं.	चैनेज		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
	कि.मी से	कि.मी तक		
1	36.529	36.631	बड़ा पुल	0.102
2	41.825	41.975	बड़ा पुल	0.150
3	43.385	43.455	बड़ा पुल	0.070
कुल				0.322

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

तालिका -5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
10. ऊपर तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **2197.77 करोड़ रुपए** है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं तथा अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. ड्राफ्ट टोल नोटिफिकेशन फॉर सिंगरेनीपल्ली टोलप्लाजा ऑफ एस-के-अपरूवल रिक्वेस्टिड]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2022

S. O. 3197(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1669 (E) dated the 26th May 2020 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 0.420 to km. 59.046 of Suryapet- Khammam Section of National Highway number -365BB in the state of Telangana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 17.674 km. and for equivalent net road length (having length more than 60m) of 3.220 km. (having structure length of 0.322 km.) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 40.630 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the table 1 below for the use of four or more lane of Suryapet- Khammam Section from design kilometer 0.420 to kilometer 59.046 (existing km. 0.000 to km. 50.750) of National Highway Number 365BB (Old SH-42) in the State of Telangana and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km./Ch.37.400 of NH-365BB Near Singarenipalli village in Suryapet District of State Telangana	17.674 (Excluding length of Bypass (costing > 10Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four lane or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km/Ch.37.400 of NH-365BB Near Singarenipalli village in Suryapet District of State Telangana	Suryapet Bypass of NH-365BB	Design Km. 0.420	Design Km. 18.100	17.680	480.16	150% for four lane or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Mothei Bypass of NH-365BB	Design Km. 28.200	Design Km. 31.100	2.900	78.76	
	Khammam Bypass of NH-365BB	Design Km. 38.400	Design Km. 58.670	20.050	550.51	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures

having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structures* (in Km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in Km.)	Rate at which fee is payable
At Km./Ch.37.400 of NH-365BB Near Singarenipalli village in Suryapet District of State Telangana	0.322	3.220	100% for four lane or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km.)
	From Km.	To Km		
1.	36.529	36.631	Major Bridge	0.102
2.	41.825	41.975	Major Bridge	0.150
3.	43.385	43.455	Major Bridge	0.070
Total				0.322

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 315.000 (Rupees Three Hundred Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the

actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rupees 2197.77 crore**. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. Draft Toll Notification for Singarenipally Toll Plaza of S-K-Approval Requested]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.